कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

(70)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट जबलपुर

अपील 790-I-15 राजस्व अपील क. /2015

(486)

1. श्री श्रीनिवास सरावगी ट्रस्ट द्वारा
   श्रीमती अलका सरावगी पत्नी स्व.श्री धरम चंद सरावगी
2. उज्ज्वल सरावगी आत्मज स्व. धरमचंद सरावगी
   बली श्रीमती अल्का सरावगी पत्नी स्व.धरमचंद सरावगी
   दोनो निवासी– गोलबाजार मालवीयगंज, स्टेशन रोड़ कटनी

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
12 MAR 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. अतिरिक्त तहसीलदार नजूल
   कलेक्टर कार्यालय कटनी, म.प्र.
2. अशोक कुमार पिता हेमनदान सिंधी गुरूनानक वार्ड
   जिला कटनी म.प्र.

उत्तरवादीगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – कटनी

प्रकरण क्रमांक अपील 790–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–4–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील वर्ष 2000–01 से वर्ष 2011 तक लंबित रही और दिनांक 24–10–11 को अदम पैरवी में निरस्त हुई । अदम पैरवी में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा उसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 3 वर्ष उपरांत पेश किया गया जिसे अपर आयुक्त ने बिलंब क्षमा करने के पर्याप्त कारण न होने के कारण निरस्त किया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसे ठोस एवं समाधान कारक कारण विलंब के संबंध में नहीं दर्शाए गए हैं, जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके । परिणामतः यह अपील अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	